न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—395/2016/223 (2016/00395)

1. कचरू पुत्र मीरू, जाति मुसलमान, निवासी किशन कॉलोनी, मसूदा रोड़, ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. सुलतान खां पुत्र नैनू खां, जाति मुसलमान, निवासी छावनी प्रेड ब्यावर, जिला अजमेर हाल दौराई, तह0 व जिला अजमेर ।
2. छोटू पुत्र नैना उर्फ नैनूखां, जाति मुसलमान, नि0 महाजनों का मौहल्ला, सरवाडी गेट, किशनगढ़ ।
3. श्रीमती जरीना पत्नी नवाब पुत्री नैना उर्फ नैनू खां, जाति मुसलमान, नि0 ग्राम पीपलाज, तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
4. श्रीमती कमला पत्न शौकत पुत्री नैना उर्फ नैनू खां, जाति मुसलमान, नि0, ग्राम पीपलाज तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
5. वारीस उर्फ सलीम पुत्र नैनू खां, जाति मुसलमान, नि0 कालीमूर्ति के पास, गोसिया कॉलोनी, उदयपुर ।
6. श्रीमती बानू बेवा जफरू, जाति मुसलमान, नि0 मुथा नाडी मेड़ता, जिला नागौर ।
7. हसीना बेगम पत्नी उत्तार उर्फ सुलतान खां,
8. शम्भू पुत्र पीरू,
   समस्त जाति मुसलमान, नि0 अजबा का बाडिया, वाया भ ावानीखेड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
9. रामसिं (फौत) जरिये वारिसानः—
   9/1— सुरजीतसिंह पुत्र रामसिंह रावत,
   9/2— रविन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह रावत,
   9/3— महेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह रावत,
   9/4— सुरेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह रावत,
   9/5— राजेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह रावत,
   समस्त निवासीगण ग्राम किशनपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
10. श्रीमती राधा पुत्री रामसिंह रावत,
11. श्रीमती निर्मला पुत्री रामसिंह रावत,
    समस्त निवासीगण ग्राम किशनपुरा, तह0 ब्यावर, जिला अजमेर ।
12. तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर, दिनांक 26.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 50/2011.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री हरीसिंह गुर्जर, श्री मेहन्द्रसिंह, वकील रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 7 से 11 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—12.09.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 53 बाबत् बंटवारा हेतु प्रतिवादी/अपीलांट एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वाके मौजा किशनपुरा, तह0 ब्यावर में स्थित है जिसके खाता संख्या 42 के खसरा नबर 125, 127, 128, 129, 130, 137, 138, 140/1, 140/2 कुल किता 9 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा एवं खाता संख्या 43 के खसरा नंबर 124, 133, 136 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा तथा खाता संख्या 33 के खसरा नंबर 131 रकबा 3 बिस्वा है । उक्त वादी एवं सभी प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात है । वादी का उपरोक्त आराजियात में अन्य प्रतिवादीगण के साथ 1/3 हिस्से का खातेदार चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अंकित किया हुआ नहीं है । जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 से वादी के नाम स्व0 बाबू, नैना, कचरू पि0 मीरू के स्थान पर वादी के हक में नामांतकरण स्वीकार हो चुका है, तथा नामांतकरण संख्या 186 दिनांक 5.5.2008 व नामांतकरण संख्या 153 दिनांक 10.7.2004 का उपरोक्त जमाबंदी में उल्लेख करते हुए वादी के हक में नामांतकरण किये जाने का इंद्राज भी मौजूद है । उपरोक्त भूमियों में वादी अपना हिस्सा प्रतिवादीगण के साथ नहीं रखना चाहता है इसलिये विवादित भूमियों का नाप—चौप से बंटवारा किया जाने हेतु प्रतिवादीगण से निवेदन किया किन्तु प्रतिवादगण इंकारहो गये इसलिये इस वाद की आवश्यकता हुई है । अतः वाद वादी स्वीकार कर विवादित आराजियात में वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से का निर्धारण एवं अंकन किया जावे तथा बंटवारा किया जाकर वादी को भौतिक रूप से उसके हक हिस्से की आराजियात पर काबिज किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2016 द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार करने के आदेश पारित किये तथा तहसीलदार, ब्यावर को बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
3. बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा वाद पत्रावली को दिनांक 26.6.2016 को कोर्ट कैम्प में नियत की गई थी उस दिन वादी और ना ही उसके अभिभाषक उपस्थित थे । प्रतिवादी/अपीलांट कोर्ट कैम्प में उपस्थित हुआ था तथा उसके हस्ताक्षर भी करवाये गये थे तथा पत्रावली अपूर्ण होना बता कर तारीख पेशी नियत किये जाने के निर्देश देते हुए अपीलांट को भेज दिया गया इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट की पीठ पीछे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि दिनांक 15.12.2015 को अधी0न्याया0 ने वादी को यह निर्देश दिये थे कि प्रतिवादी संख्या 5, 7 व

8 के नोटिस पेश करे तथा प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसान का प्रार्थना पत्र आवश्यक रूप से पेश कर अन्यथा प्रकरण अदम तकमी में खारिज कर दिया जावेगा तथा पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.3.2016 नियत की गई तथा आगामी पेशी दिनांक 15.3.2016 को सील लगाकर पत्रावली दिनांक 5.7.2016 नियत की गई लेकिन इसी दरम्यान दिनांक 13.6.2016 को पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखने हेतु पेशी दिनांक 26.6.2016 नियत कर नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये जबकि अधी0न्याया0 को दिनांक 26.6.2016 को यह देखना था कि न्यायालय द्वारा दिनांक 15.12.2015 को जो निर्देश दिये गये है उसकी कार्यवाही हुई है अथवा नहीं अन्यथा पूर्व आदेशानुसार वाद को अदम तकमील में खारिज किया जाना चाहिये था लेकिन अधी0न्याया0 ने लोक अदालत के टारगेट को पूरा करने के उद्देश्य से अपूर्ण पत्रावली को निर्णित किया है जो विधिक प्रक्रिया उल्लघंन है ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलांट ने जब वाद में अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था तो जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत अधी0न्याया0 को दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में आवश्यक तनकियात कायम करनी चाहिये थी तत्पश्चात् पक्षकारों की साक्ष्य ली जाकर उभयपक्ष को सुनकर वाद को तनकीवार निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत होने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 6 अमरा फौत हो चुका था तथा प्रतिवादी संख्या 7 सत्तार भी लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुका है जिनके वारिसान की कार्यवाही नहीं की गई और निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित कर दिया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 9 भोजसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 11 श्रीमती सुमित्रा का भी स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान को भी अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया गया है । किसी भी वाद को निर्णित करने के लिये जाब्ता दीवानी में प्रावधान दिये गये है जिसमें जवाबदावा, तनकीयात, वादी साक्ष्य तथा प्रतिवादी साक्ष्य व जिरह की पश्चात् निर्णय पारित किया जाता है किन्तु अधी0न्याया0 ने वाद में तनकियात कायम किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । यह भी कथन किया कि प्रतिवादी/अपीलांट ने कन्टेस्टेड वाद प्रस्तुत कर दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया था कि वादी व अन्य प्रतिवादी का विवादित आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं है तो उक्त बिन्दु केवल साक्ष्य से ही साबित होने थे इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने बिना साक्ष्य लिये वाद को डिक्री करने में भारी भूल की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में हिस्से संबंधी कोई फाईण्डिग नहहीं दी है जबकि वाद में वादी ने अपना 1/3 हिस्सा क्लेम करना बताया है जबकि मीरू खां के 3 पुत्र बाबू खां, नैनू खां, कचरू खां थे जिसमें बाबू खां नाऔलाद फौत हो गया तथा नैनू खां भी फौत हो गया जिसके वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 से 5 है तथा मीरू खां के अन्य दो भाई अजीमा जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 व 6 थे तथा 1 अन्य भाई पीरू जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या संख्या 7 व 8 थे तो किस प्रकार उसका 1/3 हिस्सा हो सकता था । अधी0न्याया0 ने प्राथमिक डिक्री पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि मृत व्यक्तियों की कार्यवाही करते हुए तनकीयात कायम कर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए वाद को निर्णित करे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 5 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने वादी/एवं प्रतिवादीगण को जमाबंदी के इंद्राज अनुसार हिस्से घोषित किये है जो विधिसम्मत् है । वादी/रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा नहीं है ।

6. हमनें उभ्यपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा राज0काश्त0अधि0 की धारा 53 के तहत बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे अधी0न्याया0 ने दिनांक 26.6.2016 को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री पारित की है । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने वाद एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण को निर्णित करने के लिये तनकियात कायम नहीं तथा अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रतिवादी संख्या 6 अमरा फौत हो चुका था तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 सत्तार , प्रतिवादी संख्या 9 भोजसिंह तथा प्रतिवादी संख्या 11 श्रीमती सुमित्रा का वाद के विचाराधीन रहते स्वर्गवास हो गया था किन्तु अधी0न्याया0 में मृतक प्रतिवादीगण के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया जाकर मृतकों के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की है । इस संबंध में अधी0न्याया0 पत्रावली एवं निर्णय अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा बंटवारा का वाद प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये । दिनांक 31.5.2011 को प्रतिवादी संख्या 4 की और से श्री माधव गोपाल गर्ग, अधिवक्ता ने पॉवर पेश किया । तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 4 की और से दिनांक 25.7.2011 को प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवाद प्रस्तुत करने हेतु दो माह का समय चाहा गया है तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दिनांक 12.9.2011 को प्रतिवाद पत्र अंतर्गत आदेश 8 नियम 1 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किया जाकर वादी के वाद से इंकार किया गया। अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने वाद में तनकियात कायम किये बिना वाद को निर्णित किया है । जब प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी/जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका था तो अधी0न्याया0 को वाद एवं प्रतिवादी/जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया । यह सी0पी0सी0 के आज्ञात्मक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है । इसी प्रकार अपीलांट का यह भी कथन रहा है कि अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 6 अमरा का स्वर्गवास हो चुका था तथा प्रतिवादी संख्या 7 सतार एवं प्रतिवादी संख्या 9 भोजसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 11 श्रीमती सुमित्रा का स्वर्गवास भी वाद के विचाराधीन रहते हो गया था किन्तु प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना अधी0न्याया0 ने निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो अवैध एवं शून्य है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध होने से भी विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करते समय विधिक प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा है तथा निर्णय एवं डिक्री मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध पारित किया गया है जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय एवं डिक्री को विधिसम्मत् नहीं ठहराया जा सकता है । ऐसी स्थिति में न्यायालय की सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् नहीं रखा जा सकता है ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व

डिक्री दिनांक 26.6.2016 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृतक पक्षकारान के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही करे तथा वाद एवं प्रतिवाद/जवाबदावा के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 12.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर